

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बालूराम पिता कुशालीराम कच्छवा निवासी हरनाथपुरा, तहसील राशमी  
बनाम

गिरधारी पिता गोरू बाबा (बावरी) निवासी मात्रिकुण्डिया (हरनाथपुरा) वगैरा

प्रकरण संख्या 027/2017 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.24	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता आज भी अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गईं फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष प्रकरण में दिनांक 14.09.2022 से अनुपस्थित चल रहे हैं पेशी दिनांक 05.06.2024 पर उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने पर उन्हें न्यायहित में अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर पत्रावली खारिज कर दी जावेगी उसके बावजूद भी वे आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् उभय पक्ष अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	